

फतव आहकाम

सिवालय... बंगला...
दिनांक २५/११/२०१२

साम ल्यायालय
केस संख्या

दिनांक आदेश का कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से
16-3-12	अकील बादी... रिपोर्ट... अल... तलबी टोकन पत्रावली दि 9-3-12 को पत्रा हो।
9-3-12	पत्रावली पेश हुई 1 P.O सा अवकाश पर है अत पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 13-4-12 को पेश हो।
13-4-12	पत्रावली पेश हुई 1 P.O सा अवकाश पर है अत पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 12-4-12 को पेश हो।
27-4-12	पत्रावली पेश हुई। तलबी से 1072 की तरफ से अकील की अलराज ने प.त.दी है। एवं शेष की तलबी टोकन अकील बादी ने 158. म.० के करवाने टोकन विवेकन क्रिया है अतः शेष की 159. म.० से तलबी टोकन पत्रावली दि 11-5-12 को पत्रा हो। सहायक कलक्टर सांभर लोक
1-5-12	पत्रावली पेश हुई। तलबी से 3 की तरफ से अकील की शिवराज सेट शेष ने अकाल लताम्य पत्रा क्रिया की शामिल पत्रावली क्रिया गया। तलबी से 5, 13 व 15 अक्टूबर सुनना के अद्यपार्य है अतः तलबी से 5, 13 व 15 के विरुद्ध एक पक्षीय अर्पणकी अपल में लर्प गई। शेष की तलबी टोकन टोकन पत्रावली दि 12-8-12 को पत्रा हो। एवं पोस्ट मास्टर को अरपष्ट नामील करवाते बाब पत्रा पारी हो। सहायक कलक्टर सांभर लोक
-12	पत्रावली पेश... कार्यवाही... पत्रावली दि 6-7-12 को पत्रा हो।
6-11	अकील बादी के शां पत्र पर पत्रावली तलबी की गई। अकील बादी ने शां पत्र पत्रा अर विवेकन क्रिया है कि शेष रहे तलबी टोकन की तलबी अपवाह इश करवाना चाहे है अतः अकील बादी का शां पत्र स्वीकार क्रिया जाकर आदेशा दिये जाते हैं कि जिसे मुख्य समारण पत्र जो दैविक समारण टोकन टोकन में सम्मिल गकारील करवाकर एवं तलबी पत्रा अर पत्रावली दि 6-7-12 को पत्रा हो। सहायक कलक्टर सांभर लोक

फर्द अहकाम

बनाम

क्रमांक संख्या
दिलोक आजा या
कारवाही

आजा विस्तृत रूप से

क्रमांक संख्या
दिलोक आजा या
कारवाही

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपो है।
वकील वकील ने सम्मेलन अखबार में सकशिल प्रकाश
एवं प्रति पत्रावली को शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली वास्तु आदेश आदेश है।
दि 3-8-12 को पेश हो।

3-8-12

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपो है।
तलिवादी सं 46 लख 12 एवं 14 वाव 3 संख्या
के अनुपात में है अतः इन्के विरुद्ध एक पक्षीय
आदेश अमल में लाई गई। पत्रावली वास्तु आदेश
102 एवं 1000 3 है। दि 3-8-12 को
पेश हो।

31-8-12

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभावक संघ द्वारा
कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दि 10-9-12 को पेश हो।

10-9-12

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपो है।
शलिवादी सं 102 वी लख के वकील श्री भाव
वकील ने अकालतनामा पेश किया जो शांति
पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्तु आदेश
दि 14-9-12 को पेश हो।

24-9-12

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपो है।
पक्षकारान वकील उपो है। पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दि 15-10-12 पेश हो। जवाब दावा है। दि 1-7-12
अखबार दिनांक।

15-10-12

पत्रावली पेश हुई। वकील उपो स्थित है।
पक्षकारान वकील उपो है। पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दि 19-11-12 पेश हो।

19-11-12

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपो स्थित है।
पक्षकारान वकील उपो है। पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दि 13-1-12 पेश हो।

13-1-12

पत्रावली पेश हुई। अभिभावक संघ कंडोलेक्स पर है।
पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 24-1-12 पेश हो।

3-13

11-11

1-6-1

5

91

सहायक कलक्टर
साँभर लोक

सहायक कलक्टर
साँभर लोक

सहायक कलक्टर
साँभर लोक

सहायक कलक्टर
साँभर लोक

सहायक कलक्टर
साँभर लोक

सहायक कलक्टर
साँभर लोक

फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा या प्रवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1-13	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अधिकाधिक संघ द्वारा कार्य स्थिति के अनुसार पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 4-4-13 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पञ्चकारण वकील उपर ही वकील वादी ने शां पत्र 09R-7A 151 CPC का स्वीकार किया गया। जवाब दाय टेलु 2037-1001- पर एक और जानिस जबरन दिया गया। पत्रावली दि 9.5.13 को पेश हो।</p>	
4-3-13	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्चकारण वकील उपर ही वकील वादी ने शां पत्र 09R-7A 151 को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की है अतः 09R-7A 151 CPC का स्वीकार किया गया। जवाब दाय टेलु 2037-1001- पर एक और जानिस जबरन दिया गया। पत्रावली दि 9.5.13 को पेश हो।</p>	
9/5/13	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्चकारण वकील उपर ही वकील वादी ने शां पत्र 09R-7A 151 को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की है अतः 09R-7A 151 CPC का स्वीकार किया गया। जवाब दाय टेलु 2037-1001- पर एक और जानिस जबरन दिया गया। पत्रावली दि 9.5.13 को पेश हो।</p>	
3-6-13	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्चकारण वकील उपर ही वकील वादी ने शां पत्र 09R-7A 151 को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की है अतः 09R-7A 151 CPC का स्वीकार किया गया। जवाब दाय टेलु 2037-1001- पर एक और जानिस जबरन दिया गया। पत्रावली दि 9.5.13 को पेश हो।</p>	
11-7-13	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्चकारण वकील उपर ही वकील वादी ने शां पत्र 09R-7A 151 को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की है अतः 09R-7A 151 CPC का स्वीकार किया गया। जवाब दाय टेलु 2037-1001- पर एक और जानिस जबरन दिया गया। पत्रावली दि 9.5.13 को पेश हो।</p>	
5-8-13	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्चकारण वकील उपर ही वकील वादी ने शां पत्र 09R-7A 151 को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की है अतः 09R-7A 151 CPC का स्वीकार किया गया। जवाब दाय टेलु 2037-1001- पर एक और जानिस जबरन दिया गया। पत्रावली दि 9.5.13 को पेश हो।</p>	
9/9/13	<p>पत्रावली पेश हुई। पञ्चकारण वकील उपर ही वकील वादी ने शां पत्र 09R-7A 151 को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की है अतः 09R-7A 151 CPC का स्वीकार किया गया। जवाब दाय टेलु 2037-1001- पर एक और जानिस जबरन दिया गया। पत्रावली दि 9.5.13 को पेश हो।</p>	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कारवाही	विवरण
	9-10-73	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 14-11-73 पेश हो। Po. सा. का प्रमाण प्रस्तुत हो चुका
	14-11-73	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 24-12-73 पेश हो। सहायक कलक्टर
	24/11/73	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 28/11/74 पेश हो। लोक प्रमाण प्रस्तुत
	28/11/74	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 4/3/74 पेश हो। लोक प्रमाण प्रस्तुत
	4/3/74	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 17-4/74 पेश हो। लोक प्रमाण प्रस्तुत
	15/4/74	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 20-5/74 पेश हो। लोक प्रमाण प्रस्तुत
	20/5/74	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 14/6/74 पेश हो। लोक प्रमाण प्रस्तुत
	16/6/74	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 13/7/75 पेश हो। लोक प्रमाण प्रस्तुत
	15/7/74	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 19-8-74 को पेश हो। लोक प्रमाण प्रस्तुत
	19/8/74	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 23/9/74 को पेश हो। लोक प्रमाण प्रस्तुत
	23/9/74	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 23/10/74 पेश हो। लोक प्रमाण प्रस्तुत

फर्द अहकाम

बनाम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि. विशेष विवरण विव.
28/12/14	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 5-12-14 को पेश हो।	
31/12/14	P.O. सा. अहकाम पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 13-1-15 को पेश हो।	
13/1/15	पत्रावली पेश हुई P.O. सा. वलाउ अन्व कार्य में व्यवस्था है। सुनाव/अन्व कार्य से अन्व है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 23/1/15 को पेश हो।	
23/1/15	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अहकाम के कार्य में व्यवस्था है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 15-4-15 को पेश हो।	
15/4/15	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 18-5-15 को पेश हो।	
18/5/15	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 6/5/15 को पेश हो।	
6/5/15	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 6/5/15 को पेश हो।	
6/5/15	पत्रावली पेश हुई P.O. सा. वलाउ अन्व कार्य में व्यवस्था है। सुनाव/अन्व कार्य से अन्व है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 14/9/15 को पेश हो।	
14/9/15	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 1/10/15 को पेश हो।	
1/10/15	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 2/11/15 को पेश हो।	
2/11/15	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 17/12/15 को पेश हो।	
17/12/15	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 11-1-16 को पेश हो।	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	11-1-16	पत्रावली पेश हुई। अभियोगपत्रावली का फर्द दि. 19-1-16 को पेश हो। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 19-1-16 को पेश हो।
	12-1-16	पत्रावली पेश हुई। अभियोगपत्रावली का फर्द दि. 19-1-16 को पेश हो। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 19-1-16 को पेश हो।
	11-2-16	पत्रावली पेश हुई। आज अभियोगपत्रावली का फर्द दि. 17-3-16 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 17-3-16 को पेश हो।
	17-3-16	पत्रावली पेश हुई। अभियोगपत्रावली का फर्द दि. 21-4-16 को पेश हो। पक्षकारान का फर्द दि. 21-4-16 को पेश हो।
	21-4-16	पत्रावली पेश हुई। अभियोगपत्रावली का फर्द दि. 21-6-16 को पेश हो। पक्षकारान का फर्द दि. 21-6-16 को पेश हो।
	21-6-16	पत्रावली पेश हुई। अभियोगपत्रावली का फर्द दि. 28/8/16 को पेश हो। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 28/8/16 को पेश हो।
	29-8-16	कमील पक्षकारान उपर/कमील वादी ने फर्द दि. 11/10/16 को पेश किया है। फर्द दि. 13/10/16 को पेश हो।
	13/10/16	पत्रावली पेश हुई। कमील वादी उपस्थित है। पक्षकारान का फर्द दि. 8/11/16 को पेश हो। पत्रावली दि. 8/11/16 को पेश हो।
	8/11/16	पत्रावली पेश हुई। अभियोगपत्रावली का फर्द दि. 28/12/16 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 28/12/16 को पेश हो।
	24/12/16	पत्रावली पेश हुई। अभियोगपत्रावली का फर्द दि. 24/1/17 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 24/1/17 को पेश हो।

फर्द अहकाम

बनाम

म न्यायालय
स संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
24/11/17		पत्रावली पेश हुई। कौशल वादी उपस्थित है। पक्षकारान् विनियम है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 2-3-17 पेश हो।
21/3/17		पत्रावली पेश हुई। सा. दौरे पर पधारें। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 18-4-17 पेश हो।
18/4/17		कौशल पक्षकारान् को कौशल वादी ने सा.पत्र 01210 का जवाब पत्र नहीं कर बंधन करना चाहें किनसे कौशल पक्षकारान् को बंधन सुनी गई। पत्रावली का आवलोकन किना गन्त। पत्रावली का आवलोकन करने के पश्चात् सा.पत्र 01210 स्वीकार किया गया। पत्रावली पेश करने के पश्चात् कौशल वादी को पेश हो। दि 21/5/17 को पेश हो।
24/5/17		पत्रावली पेश हुई। कौशल/पक्षकारान् उपस्थित। सा.पत्र आपके द्वारे 2017 में कौशल वादी को पेश हो दिनांक 15/6/17 को पेश हो। 10. कौशल वादी पेश हो।
15/6/17		पत्रावली पेश हुई। सा.पत्र पेश हुई। कौशल वादी उपस्थित है। पत्रावली पेश हुई। दिनांक 10/8/17 को पेश हो।
10/8/17		पत्रावली पेश हुई। सा. दौरे पर पधारें हुए हैं। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 10/8/17 को पेश हो।
14/9/17		पत्रावली पेश हुई। सा. दौरे पर पधारें हुए हैं। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 30/10/17 को पेश हो।

फर्द अहकाम

बनाम

सम न्यायालय

केस संख्या

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
21/1/17		<p>वकील पदाकारण का प्रमाणित गरी शुभ कोषीय-किसी पेश किया गया जा. आमेक मा. 1/17 के मुकदमा बनाई है 21/1/17 को पेश हो</p>
5/2/17		<p>पत्रावली पेश हुई। आज्ञा अतिरिक्त पर ही पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 2/1/18 पेश हो</p>
21/1/18		<p>पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त पर ही पदाकारण वकील रूप में आदेशानुसार पत्रावली दि 7/2/18 पेश हो।</p>
7/2/18		<p>पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त पर ही पदाकारण वकील रूप में आदेशानुसार पत्रावली दि 27/3/18 पेश हो।</p>
27/3/18		<p>पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त पर ही अतः पूर्व 27/4/18</p>
25/4/18		<p>पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त पर ही पदाकारण वकील रूप में आदेशानुसार पत्रावली दि 12/6/18 पेश हो</p>
12/6/17		<p>पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त पर ही लाला लाला प्रभुदास प्रतिवादी का स्थिति में पेश हुई। पत्रावली पेश करने के बाद अतिरिक्त पर ही 30/7/18</p>
30/7/18		<p>पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त पर ही पदाकारण वकील रूप में आदेशानुसार पत्रावली दि 30/8/18 पेश हो</p>
30/8/18		<p>पत्रावली पेश हुई। आज अतिरिक्त पर ही तत्र पर स्थिति में पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 8/10/18 को पेश हो</p>

फर्द अहकाम बनाम

पायालय
ख्या

विशेष विवरण

दिनांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/10/18	पत्रावली पेश हुई। अज्ञात पत्रावली में व्यवस्था के लिए दिनांक 8/10/18 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 19/11/18 को पेश हो।	
	19/11/18	पत्रावली पेश हुई। अज्ञात पत्रावली में व्यवस्था के लिए दिनांक 19/11/18 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 7/1/19 को पेश हो।	51/2
	07/01/19	पत्रावली पेश हुई। अज्ञात पत्रावली में व्यवस्था के लिए दिनांक 07/01/19 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1-9/02/19 को पेश हो।	
	12/2/19	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक सच द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 23/3/19 को पेश हो।	
	25/3/19	पत्रावली पेश हुई। अज्ञात पत्रावली में व्यवस्था के लिए दिनांक 25/3/19 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 29/4/19 को पेश हो।	
	29/4/19	पत्रावली पेश हुई। अज्ञात पत्रावली में व्यवस्था के लिए दिनांक 29/4/19 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1/5/19 को पेश हो।	
	11/5/19	पत्रावली पेश हुई। अज्ञात पत्रावली में व्यवस्था के लिए दिनांक 11/5/19 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 21/7/19 को पेश हो।	
	03/7/19	पत्रावली पेश हुई। अज्ञात पत्रावली में व्यवस्था के लिए दिनांक 03/7/19 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 29/8/19 को पेश हो।	
	8/19	पत्रावली पेश हुई। अज्ञात पत्रावली में व्यवस्था के लिए दिनांक 8/19 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 20/9/19 को पेश हो।	
	9/19	पत्रावली पेश हुई। अज्ञात पत्रावली में व्यवस्था के लिए दिनांक 9/19 को पेश हो। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 4/10/19 को पेश हो।	

दिनांक

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
4/19	पत्रावली पेश हुई। आज्ञा अभिभाषक द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 9-12-19 को पेश हो। P.O. साहब आदेश कार्य में आते हैं।
9/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील बादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 24/1/20 को पेश हो।
24/20	पत्रावली पेश हुई। वकील बादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 5/3/20 को पेश हो।
5/3/20	पत्रावली पेश हुई। वकील बादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 26/3/20 को पेश हो।
26/3/20	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. देरे का पत्रावली दि 11/5/20 को पेश हो।
11/5/20	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. देरे का पत्रावली दि 8/6/20 को पेश हो।
18/6/20	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. देरे का पत्रावली दि 16/7/20 को पेश हो।
16/7/20	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. देरे का पत्रावली दि 17/8/20 को पेश हो।
17/8/20	पत्रावली पेश हुई। वकील बादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 22/9/20 को पेश हो।
22/9/20	पत्रावली पेश हुई। आज्ञा अभिभाषक द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 17/11/20 को पेश हो।
18/11/20	पत्रावली पेश हुई। वकील बादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 17-11-20 को पेश हो।

फर्द अहकाम

सय

दहीगन (काठ)

बनाम

कल्याण सिंह

संख्या/वर्ष

24 / 2012

10/1 / 2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

11 1/21

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक राय को कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 18.2.21 को पेश हो। *M*

18 2/21

पत्रावली पेश हुई। PO का मुकदमा अन्य कार्य में खरत है। मुकदमा/अन्य कार्य में कोई पत्रावली नहीं है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 2.3.21 को पेश हो। *S*

02/3/21

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हैं (जवाब देते)। अधिकांश वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 12/4/21 पेश हो। *M*

12/4/21

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हैं। अधिकांश वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 21/5/21 पेश हो। *M*

21 5/21

पत्रावली पेश हुई। PO का मुकदमा अन्य कार्य में खरत है। मुकदमा/अन्य कार्य में कोई पत्रावली नहीं है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 18/6/21 को पेश हो। *S*

18 6/21

पत्रावली पेश हुई। PO का मुकदमा अन्य कार्य में खरत है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 6/7/21 को पेश हो। *S*

16 7/21

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित हैं। अधिकांश वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 17/8/21 पेश हो। *M*

17 8/21

पत्रावली पेश हुई। PO का मुकदमा अन्य कार्य में खरत है। मुकदमा/अन्य कार्य में कोई पत्रावली नहीं है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1.10.21 को पेश हो। *S*

08 10/21

पत्रावली 'प्रशासन गैरों' के लंबे आदेशानुसार 2021। विवरण: गैरों का बाल पट सुनवाई हेतु पेश हुई। सभी पत्राचारों की उपाधिति के अभाव में आपसी सौजन्य से समाप्त होने के आदेश पर निस्तानण संभव नहीं है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-12-2021 को पेश हो। *M*

28 12/21

पत्रावली पेश हुई। PO का मुकदमा अन्य कार्य में खरत है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 3:3:22 को पेश हो। *S*

फर्द अहकाम

न्यायालय _____

वकील दीपक बनाम कल्याण

मुकदमा संख्या/वर्ष _____ दिनांक: _____ / 20__

क्र.सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
---------	---------------------------	----------------------

33/22		पत्रावली 1श हुई। वकील वादी उ. रास्थन है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 26-4-22 पेश है। (4)
-------	--	---

26/22		पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी को दाय अवकाश/दौरे पर पधारे हैं। नः पत्रावली अय पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/6/22 को पेश हो। कीमानू को को स का स्थानांतरण अवकाश ले चुका है।
-------	--	---

13/6/22		पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 21/8/22 को पेश हो।
---------	--	--

2/8/22		पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दोरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 20/9/22 को पेश हो।
--------	--	--

20/9/22		पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उ. रास्थन है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 22/10/22 पेश है। प्रतिवादीगण को अवकाश पेश करने हेतु अनेक अवसर देने के बावजूद भी अवकाश पेश नहीं करते पर अवकाश उड फिमा जाला है।
---------	--	---

21/10/22		पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उ. रास्थन है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 5/12/22 पेश है।
----------	--	---

5/12/22		पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी को दाय अवकाश/दौरे पर पधारे हैं। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/1/23 को पेश हो।
---------	--	--

09/1/23		पत्रावली 1श हुई। वकील वादी उ. रास्थन है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 07/2/23 पेश है।
---------	--	--

3/2/23		पत्रावली 1श हुई। वकील वादी उ. रास्थन है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 28/2/23 पेश है।
--------	--	--

फर्द अहकाम

बनाम कल्याण सिंह

विशालाख्या / वर्ष : 24/12 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/2/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उ गस्थत है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 21/3/23 पेश है। बाद द्वारा कार्य स्थगित किया गया है।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p>	
11/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उ गस्थत है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 25/4/23 पेश है।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> (बाद द्वारा स्थगित)</p>	
25/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उ गस्थत है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 19/5/23 पेश है।</p>	
19/05/23	<p>पत्रावली " <u>सब गाँवों के संग अभियान-2023</u> के तहत <u>केय</u> <u>2023/24</u> पर पेश हुई। वादी <u>उपस्थित/अनुपस्थित</u> है। पत्रावली <u>आपसी सहमति व राजीनामों से संभव नहीं</u> जिनसे पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>12/07/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> <u>शिविर प्रभारी</u> <u>कल्याण सिंह, साँभर लेक</u></p>	
12/7/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उ गस्थत है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 31/7/23 पेश है।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p>	
31/7/23	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी <u>आपसी सहमति व राजीनामों से संभव नहीं</u> पर पत्रावली उप पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>22/9/23</u> को पेश हो है।</p>	
21/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उ गस्थत है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि 31/10/23 पेश है।</p> <p>श्रीमान <u>शिविर कल्याण सिंह</u> <u>साँभर</u> के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपरिष्ठ अधिकारी <u>कल्याण सिंह</u> को प्रेषित की जाती है।</p>	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से
----------	---------------------------	----------------------

31/10/23

न्यायलय सहायक न्यायाधीश के आदेश से हस्तान्तरित होकर पत्रावली आज्ञा दिनांक 31/10/23 को प्रकाशन उपस्थित / अनुपस्थित गत आदेशिका की प्रमाण नहीं है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी दिनांक 4/12/23 को पेश हो।

(MVG)

4/12/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 2/1/24 को पेश है।

(MVG)

2/1/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 22/2/24 को पेश है।

(MVG)

22/3/24

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पेशकारान वादी & प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा पत्रावली दिनांक 22/3/24 को पेश है। राज्य कार्यपालिका के द्वारा पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार आगामी दिनांक 22/5/24 को पेश हो।

22/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 10/7/24 को पेश है।

(Signature)

10/7/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 28/8/24 को पेश हो।

(Signature)

28/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 11/9/24 को पेश है।

(Signature)

11/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप. है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 31/10/24 को पेश है।

PO BEM (Signature)

फर्द अहकाम

द्विगत मास बनाम कल्याण सिंह

ख्या / वर्ष

: 24/22 /20

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------------------	----------------------	-------------

13/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकालत वादों उपस्थित है। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश है।

20/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक... 20/11/24... को पेश हो।

11/2/24 पत्रावली पेश हुई। कोर्ट पत्र उप नहीं है आज 0-2/2/24 में पत्र की उपस्थिति कलियुक्त लीन - 2/2/24 को आवार्ड लगाई गए फिर भी कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ अतः पत्रावली 0-9/2-3 के पक्ष में उपस्थित नहीं है। इस मामले में खारिज अवसर जा रही है। अतः पत्रावली को खारिज कुमार कोर्ट पक्ष को वाकिल को पक्ष को खारिज कर दिया है।

(8)

उपखण्ड अधिकारी
द्वि. प्रशासक रेनवाल

न्यायालय सहायक जिलाधिश महोदय साँभरलेक

वाद स० --- / 2012

अर्जीदावा हस्ब ऑ० 7 रू० 1 जा० दी०

- 1- छीगनलाल पुत्र जीवण आयु- 60 साल जाति- बलाई, नि०- लालासर तह०- फूलेरा, जिला- जयपुर राज०
- 2- धापू पुत्री जीवण आयु- 62 साल जाति- बलाई नि०- लालासर हाल नि०- गोविन्दगढ़ तह०- गोविन्दगढ़, जिला- जयपुर राज०
- 3- बोदी पुत्री जीवण आयु- 58 साल जाति- बलाई नि०- लालासर हाल नि०- आभास तह०- श्रीमाधोपुर, जिला- सीकर राज०
- 4- प्रभाती पत्नी नौलाराम आयु- 58 साल
- 5- विजेन्द्र पुत्र नौलाराम आयु- 25 साल
- 6- दिलीप पुत्र नौलाराम आयु- 31 साल
समस्त जाती- बलाई नि०- लालासर तह०- फूलेरा, जिला- जयपुर राज०
- 7- मीना पुत्री नौलाराम पत्नी मदनलाल आयु- 22 साल नि०- लालासर हाल नि०- मूण्डगसोई तह०- नावा जि०- नागौर राज०
- 8- कृष्णा पुत्री नौलाराम पत्नी प्रहलाद आयु- 36 साल नि०- लालासर हाल नि०- हाथलोदा तह०- गोविन्दगढ़ जि०- जयपुर राज०
- 9- सीता पुत्री नौलाराम पत्नी गिरधारी आयु- 40 साल नि०- लालासर हाल नि०- रामगढ़ तह०- दातारामगढ़ जि०- सीकर राज०

-----वादीगण

बनाम

- 1- कल्याणसिंह पुत्र मोहनसिंह आयु- 58 साल
- 2- गोपालसिंह पुत्र मोहनसिंह आयु- 35 साल
जाति- दरोगा नि०- दादीया रामपुरा तह०- श्रीमाधोपुर जिला- सीकर राज०
- 3- चेतनसिंह पुत्र भोपालसिंह आयु- 55 साल
- 4- मालसिंह पुत्र भोपालसिंह आयु- 44 साल
- 5- विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह आयु- 42 साल
जाति- राजपूत नि०- ग्राम जूनरया तह०- फूलेरा जिला- जयपुर राज०
- 6- राजेन्द्रसिंह आयु- 58 साल
- 7- गजेन्द्रसिंह आयु- 55 साल
- 8- महेन्द्रसिंह आयु- 50 साल
- 9- सुरेन्द्रसिंह आयु- 48 साल
- 10- विरेन्द्रसिंह आयु- 43 साल
पुत्रान जयसिंह जाती- राजपूत नि०- ग्राम जूनरया तह०- फूलेरा जिला- जयपुर राज०

11-सत्यदेवसिंह आयु- 50 साल

12-हिम्मतसिंह आयु- 45 साल

13-रविदर्शनसिंह आयु- 42 साल

पुत्रान वीरबहादूरसिंह जाती- राजपूत नि०- ग्राम जूनस्या तह०- फुलेरा
जिला- जयपुर राज०

14-मालीराम पुत्र गंगल्या उर्फ गंगाराम जाती- बलाई नि०-ग्राम लालासर
तह०- फुलेरा जिला- जयपुर राज०

15-तहसीलदार तहसील फुलेरा मुकाम सॉभरलेक राज०


-----प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमा, दिलवाये जाने कब्जा, व स्थायी निषे०
अ० धारा 53, 88, 91, 188 रा० टी० एक्ट 1955

श्रीमान्जी,

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है :-

1- यहकि वादीगण स्वर्गीय जीवण पुत्र पेमा उर्फ पूरा के वंशज है सीजरा
खानदान निम्न प्रकार है :-



2- यहकि वादीगण स० 1 ल० 3 के पिता, वादीगण स० 4 के ससूर व
वादीगण स० 5 ल० 9 के दादा जीवण पुत्र पेमा उर्फ पूरा के कब्जे काश्त
व खातेदारी की आराजी ख० न० 524 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा बरानी 2
हिस्सा 1/2 वाकै ग्राम जूनस्या तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान मे
रिथत है जिस पर वह परचा सेटलमेन्ट के पूर्व से ही काबिज काश्त चला
आ रहा था तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी स० 14 के पिता गंगल्या उर्फ
गंगाराम का कब्जा काश्त था इसलिए परचा खातेदारी 1/2 हिस्से की
जीवण पुत्र पेमा व 1/2 हिस्से की प्रतिवादी स० 14 के पिता गंगल्या उर्फ
गंगाराम के नाम जारी की गई ! सम्वत् 2011 से 2029 का जारी परचा
सेटलमेन्ट के कॉलम न० 5 मे जीवण वल्द पेमा हि 1/2 गंगलिया मन्सा

1/2 कौम बलाई सा० देह के नाम का इन्दाज किया गया है ! जीवन के पिता को पेमा व पूरा दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता था!

3- यहकि वादीगण के बुजुर्ग जीवन पुत्र पेमा व प्रतिवादी सा० 14 के पिता गंगल्या की जाति बलाई है इसलिए परचा खातेदारी मे दोनो की जाति संयुक्त रूप से 'बलाई' दर्ज की गई थी ! दोनो ही दर्ज खातेदारी अनुसार 1/2 - 1/2 हिस्से पर परस्परिक सहमती से काबिज काश्त चले आ रहे थे ! जब तक जीवन पुत्र पेमा जीवित था विवादीत आराजी पर काबिज काश्त था एवं लगान अदा कर रहा था दिनांक 21.01.1971 को उसकी मृत्यु के पश्चात से वादीगण, स्व० नौलाराम पुत्र जीवन व गुलाब पत्नी जीवण विवादीत आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे थे ! नौलाराम एवं गुलाब पत्नी जीवन की मृत्यु हो चुकी है ! जिनकी मृत्यु के पश्चात से वादीगण ही विवादीत आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे थे व लगान अदा कर रहे थे !

यह कि विवादीत आराजी से प्रतिवादी सा० 1 ल० 13 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ! प्रतिवादी सा० 1 व 2 जाति से दरोगा है एवं प्रतिवादी सा० 3 ल० 13 जाति से राजपूत है जो स्वर्ण जाति के सदस्य है जबकि वादीगण एवं मृतक जीवन पुत्र पेमा एवं प्रतिवादी सा० 14 जाति से बलाई है जो अनुसूचित जाति के सदस्य है !

— यहकि प्रतिवादी सा० 3 ल० 5 के पिता भोपालसिंह एवं प्रतिवादी सा० 6 ल० 13 स्वर्ण जाति के सदस्य है एवं धन बल से सम्पन्न राजनीतिक पहुच वाले व्यक्ति है जबकि वादीगण साधनहीन गरीब तबके के कमजोर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है ! मृतक भोपालसिंह व प्रतिवादी सा० 6 ल० 13 ने वादीगण की गरीबी व कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए अरसा करीब 10 साल पूर्व वर्ष 2002 मे जबरन विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया ! प्रतिवादीगण की रसूखात के चलते वादीगण की कोई सुनवाई नहीं हुई लेकिन राजस्थान सरकार के वर्ष 2004 के ऑपरेशन सम्बल कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा जबरन किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध मे तहसील फुलेरा क्षेत्र के समस्त पटवारीयो से सर्वे करवाया गया ! सर्वे के दौरान पटवार हल्का लालासर ने विवादीत आराजी ख० न० 524 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा बरानी 2 वाकै ग्राम जूनस्या तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज० पर प्रतिवादी सा० 3 ल० 5 के पिता स्व० भोपालसिंह व प्रतिवादी सा० 6 ल० 13 का अवैध कब्जा मानते हुए अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रतिवादी सा० 15 के यहा पेश की !

6- यहकि प्रतिवादी सा० 15 ने प्रतिवादी सा० 3 ल० 13 के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण सा० 28/04 अनुवानी सरकार बनाम भोपालसिंह वगै० दर्ज कर नोटिस जारी किये गैरसायलान की ओर से बाद प्रस्तूत होने जवाब एवं बाद सुनवाई प्रतिवादी सा० 15 ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.05 द्वारा प्रतिवादी सा० 3 ल० 13 को अतिक्रमी मानते हुए विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश दिये !

उक्त निर्णय अन्तिम है जिसकी आज तक प्रतिवादीगण द्वारा कोई अपील नहीं की गई !

- यहकि प्रतिवादीगण की रसूखात के चलते उक्त आदेश की आज तक कोई पालना नहीं हो पाई जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण स० 1 व 2 ने आपसी साज कर अनुरसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को हड़पने की नियत से प्रतिवादी स० 1 व 2 की ओर से झुठे तथ्यों पर एक वाद अनुवाची कल्याणसिंह वगै० बनाम राज० सरकार वाद स० 151/2010 मान्य न्यायालय में पेश कर इस्तजुआ चाही कि विवादीत आराजी में प्रतिवादी स० 1 व 2 के नाम जीवन पुत्र पेमा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है परचा सैटलमेन्ट में जीवन पुत्र पेमा 1/2 हिस्सा दर्ज किया लेकिन उसकी जाति दसोगा सहजान से अंकित नहीं की ! जीवन के प्रतिवादी स० 1 व 2 जायन्दा वारीस है जीवन की पत्नी गुलाबदेवी एवं पुत्री लक्ष्मीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है वादीगण स० लक्ष्मी के पुत्र है इसलिए जीवन पुत्र पेमा के आगे जाति दसोगा दर्ज किये जाने व खातेदारी प्रतिवादी स० 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे !

- यहकि मान्य न्यायालय द्वारा प्रशासन गाँवों के रंग अभियान कैम्प डेहरा में दिनांक 29.12.2010 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए वाद प्रतिवादी स० 1 व 2 के हक में खिची कर दिया गया जो बहुताबले वादीगण निम्न आधारों पर बातिल बेअसर एवं शून्य है :-

- यहकि उक्त वाद में ना तो वादीगण पक्षकार मुकदमा कायम किये गये ना ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया !

- यहकि उक्त वाद में कायम प्रतिवादी स० 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा की तागिल ही नहीं हुई बिना तागिल ही मान्य न्यायालय ने वाद खिची कर महत्ती कानूनी भूल की है अन्यथा विवादीत आराजी की सही वस्तु रिथती मान्य न्यायालय के समक्ष आ जाती !

- यहकि प्रतिवादी स० 2 मालीराम द्वारा प्रस्तुत ईकदालीया जवाब के समर्थन में कोई शपथपत्र पेश नहीं किया गया है ! आदेश 6 नियम 13 जा० टी० के तहत अभिवचन को स्थापित करने वाले व्यक्ति को अपने अभिवचन के समर्थन में शपथपत्र पेश किया जाना आवश्यक है जिसके अभाव में पारित खिची विधी विरुद्ध है !

घ- यहकि मान्य न्यायालय ने वादीगण द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथपत्र एवं मनाहान के शपथपत्रों की सही विवेचना नहीं की है ! वादीगण कल्याणसिंह व गोपालसिंह तथा मनाहान मदनलाल व मालीराम के शपथपत्र संलग्न अधिकांश से निर्भीकत लक्ष्मीक नहीं है एवं ना ही मान्य न्यायालय के समक्ष स्थापित किये गये है इसलिए साक्ष्य में पड़े जाने शक्य नहीं है बावजूत इसकी मान्य न्यायालय ने शपथपत्रों को साक्ष्य में पढ़ कर कानूनी रूप से ही है !

उ- यहकि मान्य न्यायालय ने फोटो कॉपी दरस्तावेजात की साक्ष्य में ग्राह्य मान कर महत्ती कानूनी भूल की जो साक्ष्य अधिनीयम के प्रावधानों के विपरीत है ! उक्त फोटो कॉपी दरस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य की तारीफ में आते हैं जिनका ना तो मूल से मिलान किया गया है ना ही मूल दरस्तावेजात की पत्रावली पर लिया गया है बावजूद इसके इनको साक्ष्य में ग्राह्य मानकर डिक्री पारीत करना विधी विरुद्ध है !

- यहकि पत्रावली पर उपलब्ध विवादीत आराजी की जमायन्दी में जीवण पुत्र पेमा हि० 1/2 गंगल्या मनस्या हि० 1/2 कौम बलाई सा० देह स्पष्ट अंकित है दोनो खातेदारान की जाति बलाई अंकित की गई है ! साथ ही पत्रावली पर जीवण पुत्र पेमा जाति दरोगा नाम का कोई व्यक्ति कभी ग्राम जूनस्या में रहा हो इस बाबत कोई दरस्तावेजी साक्ष्य न होने के बावजूद मान्य न्यायालय ने वाद डिक्री करने में कानूनी भूल की है !

यहकि किसी भी पत्रावली का निस्तारण प्रशासन गांवों के संग अभियान में करने हेतू न्यायालय को विधी में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार नहीं देया गया है ! प्रकरण में विधीक प्रावधानों की पालना न कर मान्य न्यायालय ने महत्ती कानूनी भूल की है इसलिए वादीगण उक्त डिक्री से तर्ई पाबन्द नहीं है !

यहकि प्रतिवादीगण ने आपस में साज कर मान्य न्यायालय को मुगालता कर उक्त डिक्री पारीत करवाई है ! तहसीलदार तहसील फुलेरा द्वारा वादीत आराजी के सम्बन्ध में धारा 183 बी० रा० टी० एक्ट के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी प्रतिवादीगण को शुरू से रही है उक्त कार्यवाही में प्रतिवादी स० 14 मालीराम भी पक्षकार रहा है लेकिन उक्त तथ्यों को नबूझकर छिपाते हुये झुठे तथ्यों पर ईकबालिया जवाब व शपथपत्र पेश न्यायालय को मुगालता दिया है इसलिए डिक्री विधी विरुद्ध है !

हकि विवादीत आराजी पर प्रतिवादी स० 1 व 2 का कभी कोई कब्जा काशत नहीं रहा ना ही उनके बुजूर्गों का कब्जा काशत नहीं रहा यहा तक प्रतिवादी स० 1 व 2 के बुजूर्ग कभी भी ग्राम जूनस्या में नहीं रहे जूद इसके बिना किसी आधार पर कब्जा काशत मानकर डिक्री पारीत कानूनी भूल की है !

कि प्रतिवादी स० 1 व 2 एवं इनके बुजूर्ग कभी ग्राम जूनस्या में नहीं रहे लिए इनका विवादीत आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है इनका वादीत आराजी पर कभी कोई कब्जा काशत नहीं रहा ! विवादीत आराजी वादीगण स० 1 ल० 3 के पिता, वादीगण स० 4 के ससूर व वादीगण 5 ल० 9 के दादा जीवण पुत्र पेमा उर्फ पूरा का परचा सैटलमेन्ट के से ही कब्जा काशत चला आ रहा था इसलिए परचा खातेदारी भी इसी नाम जारी की गई तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी स० 14 के पिता ल्या उर्फ गंगाराम का कब्जा काशत था इसलिए परचा खातेदारी 1/2 से की जीवण पुत्र पेमा व 1/2 हिस्से की प्रतिवादी स० 14 के पिता ल्या उर्फ गंगाराम के नाम जारी की गई ! तब से विवादीत आराजी पर वण पुत्र पेमा उर्फ पूरा व वादीगण का ही कब्जा काशत चला आ रहा था

लेकिन अरसा करीब 10 साल पूर्व वर्ष 2002 में जब
र अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है एवं जबरन वादीगण
र दिया है !

यहकि दिनांक 17.01.2012 को वादी स0 1 भागीरथ ने पटवार हल्का से
वेवादीत आराजी की जमाबन्दी की नकल लेने से खातेदारी प्रतिवादी स0 1
र 2 के नाम दर्ज होने की जानकारी मिली तत्पश्चात दिनांक 3.02.12 को
वाद स0 151/10 की पत्रावली की नकल लेने पर सम्पूर्ण तथ्यों की
जानकारी हुई ! वादीगण ने दिनांक 5.02.2012 को प्रतिवादी स0 3 ल0 13
से विवादीत आराजी का कब्जा वादीगण को सम्भलाये जाने का निवेदन
किया तो प्रतिवादीगण ने कब्जा छोड़ने से इंकार कर दिया एवं वादीगण
को जान से मारने की घमकी दी इसलिए वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश
करना आवश्यक हुआ है !

— यहकि प्रतिवादीगण स0 1 व 2 का विवादीत आराजी पर ना तो कोई
कब्जा काश्त है ना ही कोई सम्बन्ध सरोकार है ! प्रतिवादीगण स0 3 ल0
13 विवादीत आराजी पर बहैसियत अतिक्रमी काबिज है ! प्रतिवादीगण स0
1 ल0 14 ने आपसी साज कर झुठे तथ्यों पर वाद दायर कर विवादीत
आराजी प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम करवाई है इसलिए वादीगण की ओर
से वाद बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमा, दिलवाये जाने कब्जा, व स्थायी
निषे0 विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ है !

12— यहकि वादकारण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण यौम दिनांक
17.01.2012 को वादी स0 1 भागीरथ द्वारा पटवार हल्का से विवादीत
आराजी की जमाबन्दी की नकल लेने से खातेदारी प्रतिवादी स0 1 व 2 के
नाम दर्ज होने की जानकारी मिलने तत्पश्चात दिनांक 3.02.12 को वाद स0
151/10 की पत्रावली की नकल लेने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने
एवं वादीगण द्वारा दिनांक 5.02.2012 को प्रतिवादी स0 3 ल0 13 से
विवादीत आराजी का कब्जा वादीगण को सम्भलाये जाने का निवेदन करने
एवं प्रतिवादीगण ने कब्जा छोड़ने से इंकार करने पर वाकैँ ग्राम जूनस्या
उत्पन्न हुआ दावा अन्दर मियाद है एवं काबिल समाअत अदालत वाला है !

13— यहकि बगरज अदाय कोर्टफीस बाबत घोषणा खातेदारी, तकासमा,
दिलवाये जाने कब्जा, व स्थायी निषे0 अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 183 व
188 रा0 टी0 एक्ट के तृतीय परिशिष्ट अनुसार 5/रु के न्याय शूल्क पर
पेश है जो पर्याप्त है !


14— यहकि विवादीत आराजी के तकासमा बाबत वाद प्रस्तूत किया गया है
जिसकी लैण्ड हॉल्डर राज0 सरकार होने से तहसीलदार तह0 फूलेरा व
पक्षकार मुकदमा कायम किया गया है !

15— यह कि विवादीत आराजी वाकैँ ग्राम जूनस्या गिरदावर हल्का रेनवा
तह0 फूलेरा में स्थित है ! इसलिए मान्य न्यायालय को वाद श्रवण बाब
श्रवणाधिकार / क्षेत्राधिकार प्राप्त है !

6- यहकि वादीगण प्रार्थी है कि :-

- 1- यहकि वादपत्र यहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजी ख0 न0 524 रकवा 29 बीघा 07 विरवा बारानी 2 हिस्सा 1/2 वाकें ग्राम जूनस्या तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान मे प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के नाम दर्ज खातेदारी को हजफ फरमाकर वादीगण को विवादीत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे !
- 2- यहकि विवादीत आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल फरमाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे साथ ही वादीगण को दोषपूर्ण तरिके से जबरन बेदखल करने व बतौर अतिकमी विवादीत आराजी पर काबिज रहने व काश्त कर उपयोग उपभोग करने हेतू प्रतिवादीगण से मुआवजा वादीगण को दिलवाया जावे जब तक कि प्रतिवादीगण कब्जा वादीगण को ना सम्भला दे !
- 3- यहकि वाद प्रारम्भीक डिक्री कर विवादीत आराजी का तकासमा किया जाकर वादीगण का 1/2 हिस्सा अलहदा किया जाकर लगान की फाटबन्दी की जावे व नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर वाद अन्तिम डिक्री किया जावे !
- 4- यहकि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषे0 पाबन्ध फरमाया जावे कि वे विवादीत आराजी मे वादीगण के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे मजाहमत न करे बैचान न करे ,बिना विभाजन आराजी की किश्म परिवर्तन नही करे, कोई रास्ता ग्रैवल रोड़ कायम नही करे ना ही कोई निर्माण करे एवं विवादीत आराजी की मौके की यथास्थिती बनाये रखे ! ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट से करावे !
- 5- यहकि खर्चा मुकदमा व दिगर दादरसी जो मुफिद वादीगण हो अता फरमाई जावे !

वादीगण




नि.  साँभर



विजैन्द्र

साँता देवी

बृह्णा देवी - माता

डि. 



 नि.  साँभर

 नि.  साँभर

सत्यापन

मे छीगनलाल पुत्र जीवण आयु- 60 साल जाति- बलाई नि0-लालासर तह0- फुलेरा, जिला-जयपुर राज0 आज दिनाक 15/02/12 को बमुकाम साँभर लेक सत्यापित करता हूँ कि वादपत्र की चरण स0 1 ल0 11 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास मे सही है एवं चरण स0 12, 13, 14, 15 कानूनी है एवं चरण स0 16 प्रार्थना है जिनके सही होने का मुझे पूर्ण विश्वास है !



फर्द अहकाम

द्विगत मास बनाम कल्याण सिंह

: 24/22 /20

ख्या / वर्ष

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा
कार्यवाही

13/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकालत वादों उपस्थित हैं। पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश है।

20/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक.... 21/12/24... को पेश हो।

14/12/24 पत्रावली पेश हुई। कोई पत्र उप नहीं है आज जमानत लभ में पत्र की उपस्थिति कलियुक्त लीन - 2 सार आवाज खगाई गए फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः पत्रावली 0-9, R-3 के तहत अदम पत्रावली उपम हाथ में रखी जा रही है। अतः पत्रावली उपस्थित जा रही है। अतः पत्रावली उपस्थित कुमार हीनर दलतर वा 20/11 को पेश जे कम रहे।

उपखण्ड अधिकारी
शिवनगढ़ रेनवाल